न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–130 / 2014–15

राज्य बनाम शिव नारायण गिरी एवं श्याम नारायण गिरी

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
06/06/16	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी के पत्रांक 138 दिनांक 28.02.2015 से प्राप्त विविध वाद सं0 01 / 2014–15 के अभिलेख के आधार पर आरम्भ की गयी थी। अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के द्वारा संधारित अभिलेख वाद सं0 01 / 2014–15 से स्पष्ट होता है कि शिव नारायण गिरी एवं श्याम नारायण गिरी, पिता स्व0 परमेश्वर गिरी के द्वारा खतियान के आधार पर मौजा अब्दुल्ला नगर तरेगणा, थाना नं0 152 खाता नं0 170 खेसरा सं0 1752 एराजी 0.27 एकड़ के दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 1132 / 2012–13 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के द्वारा इस आधार पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया कि खतियानी रैयत का वंशज होने की वंशावली प्राप्त नहीं है, तथा प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में केश चल रहा है। अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के उक्त आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 14 / 2013–14 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी के द्वारा दिनांक 11.03. 2014 को अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1132 / 2012–13 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए शिव नारायण गिरी एवं श्याम नारायण गिरी के पक्ष में दाखिल खारिज करने का आदेश दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी के आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के द्वारा दिनांक 08.08.2014 को प्रश्नगत भूखण्ड का शुद्धि पत्र शिव नारायण गिरी एवं श्याम नारायण गिरी के पक्ष में निर्गत किया गया। पुनः दिनांक 13.02.2015 को अपर समाहर्त्ता, पटना के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद सं0–12 / 2013–14 लम्बित रहने का हवाला देते हुए शिव नारायण गिरी एवं श्याम नारायण गिरी के नाम से कायम नवसृजित जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी के द्वारा अंचलाधिकारी, मसौढ़ी की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 23.02.2015 को उक्त जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख इस न्यायाल को भेजा गया। इस न्यायालय से शिवनारायण गिरी एवं श्याम नारायण गिरी को	

(मनीष)

नोटिस दी गयी, तामिला प्राप्त है, परन्तु शिव नारायण गिरी एवं श्याम नारायण गिरी कभी भी इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

(1) प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे खतियान के अनुसार रैयती है फिर इस मामले में बिहार सरकार को पक्षकार बनाते हुए, शिव नारायण गिरी वो श्याम नारायण गिरी बनाम बिहार सरकार का अभिलेख क्यों भेजा गया।

(2) शिव नारायण गिरी एवं श्याम नारायण गिरी के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द किये जाने का क्या आधार/कारण है, यह अंचलाधिकारी, मसौढ़ी अथवा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा अंकित नहीं किया गया है।

(3) प्रश्नगत भूखण्ड रैयती है। शिव नारायण गिरी एवं श्याम नारायण गिरी के नाम से कायम जमाबंदी के संबंध में किसी प्रकार की आपति अथवा परिवाद का जिक्र निम्न न्यायालय के अभिलेख में नहीं है।

(4) अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के द्वारा अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में चल रही पुनरीक्षण वाद सं0 12/2013–14 का हवाला दिया गया है, उक्त पुनरीक्षण वाद सं0 12/2013–14 पालीगंज अनुमंडल के बिक्रम अंचल से संबंधित है।

इस प्रकार की अस्पष्ट अनुशंसा के आधार पर जमाबंदी रद्द किया जाना उचित एवं विधि सम्मत नहीं होगा। भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी को वाद प्रतिप्रेषित (Remand) करते निदेशित किया जाता है कि जमाबंदी रद्द करने का पर्याप्त कारण बताते हुए अनुशंसा के साथ प्रस्ताव भेजें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

6/6/16

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

6/6/16

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना